पत्रांक–1 / प्रा0आ0–25 / 2015 / 2961 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 5/8/16

विषयः– प्राकृतिक / गैर प्राकृतिक आपदाओं में अनाथ हो गए अवयस्क बच्चों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु अपनाये जाने वाली नीति / प्रक्रिया के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1202 / आ0प्र0 दिनांक–17.03.16.

महाशय,

निदेशानुसार उर्पयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि कतिपय जिला पदाधिकारियों द्वारा प्राकृतिक / गैर प्राकृतिक आपदाओं में अनाथ हो गए अवयस्क बच्चों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की जाती रही है।

2. ऐसा देखा गया है कि ऐसे मामलों में अनाथ बच्चों के वैधानिक अभिभावकों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान कर दिये जाने की दशा में सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से अनाथ नाबालिग को अनुग्रह अनुदान का लाभ मिलने में कठिनाई उत्पन्न होती है। साथ ही यदि अनाथ नाबालिग को सीधे अनुग्रह अनुदान मद की राशि नकद भुगतान की जाए, तो किन्ही अन्य के द्वारा उसका दुरूपयोग कर लिए जाने की संभावना बनी रहती है। यदि नाबालिग के अकेले नाम से खाता खोलकर राशि जमा कर दी जाती है, तो नाबालिग होने के कारण बैंको में खाता संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक– 1202 / आ0प्र0 दिनांक–17.03.16 का स्मरण करे, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडों की मार्गदर्शिका पर रिट याचिका संख्या–444 / 2013 की सुनवाई के पश्चात दिनांक–26.02.16 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में NDMA द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था, के आलोक में पत्र निर्गत किया गया था।

4. तद्नुसार ऐसे मामलों में निम्नानुसार कार्रवाई की जाए :

(i) आपदाओं के दौरान विधवा हो गई महिलाओं और अनाथ हुए बच्चों को सम्पूर्ण अनुग्रह की राशि 07 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ii) अनाथ हुए बच्चों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि सरकारी बैंको में संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जहाँ जिला समाहर्त्ता ऐसे खातों के प्रथम खाताधारी होंगे।

(iii) ऐसे खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि बच्चे को / उसके अभिभावक को बच्चे की देखभाल हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) बच्चों की शिक्षा – दीक्षा की व्यवस्था जिला / स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

5. अनाथ नाबालिग आश्रितों / आश्रित को राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।

अतएव पुनः विभागीय पत्रांक–1202 / आ0प्र0 दिनांक–17.03.16 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि नीति निर्धारण में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न हो।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/8

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

D:\2016 Jan Shikayat\Sanjay Sinha sir\letter 25-07-2016.docx